

राष्ट्रीय संवैधानिक व्यवस्थाएँ QTS - 33

1. .A

.

2. .B

.

3. (C) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 7 पदेन सदस्य होते हैं जो निम्न हैं:

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष
2. राष्ट्रीय SC आयोग का अध्यक्ष
3. राष्ट्रीय ST का अध्यक्ष
4. संरक्षण आयोग का अध्यक्ष
5. राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष
5. OBC आयोग का अध्यक्ष
7. विकलांग का मुख्य आयुक्त

4. B

NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति में अध्यक्ष, समेत 6 सदस्य होते हैं इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं व लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, केन्द्रीय गृहमंत्री, राज्यसभा का उपसभापति व राज्यसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होते हैं।

5. C .

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जाँच समिति की सिफारिश पर साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है।

6. A

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम की धारा-7 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नामित कर सकता है।

7. B

उपरोक्त अधिनियम की धारा-10 में यह प्रावधान किया गया है कि बैठक के समय व स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा प्रमाणित होंगे।

8. C .

केन्द्र सरकार द्वारा आयोग को अनुदान देने का उल्लेख धारा-32 में एवं आयोग का लेखा-परीक्षण संबंधी प्रावधान धारा-34 में किया गया है।

9. C .



समीक्षा इंस्टीट्यूट

10. A .

प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा, एवं प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। राष्ट्रीय थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथन मिश्रा थे। प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य -फातिमा बी.बी. , बी एस. मालिमथ,वीरेन्द्र दयाल थे।

11. B .

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष जे.एस.वर्मा का संबंध म.प्र. के सतना जिले से है।

12. D .

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्तमान संरचना में अध्यक्ष- एच.एल.दत्तू. सदस्य. प्रफुल्ल चंदपंत, ज्योति कालरा, ध्यानेश्वर मनोहर मुलय, एवं पदेन सदस्य के रूप में सैयद घयारूल हसन रिजवी (अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष), रेखा शर्मा(राष्ट्रीय महिला की अध्यक्ष), विजय सांपला(SCआयोग), हर्ष चौहान(STआयोग), भगवान लाल साहनी (OBCआयोग), कमलेश कुमार पांडे(विकलांगों के आयुक्त), प्रियंका कानूनगो (बाल अधिकार संरक्षण आयोग) की अध्यक्ष शामिल है।

13. C .

राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थिति के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है।

14. D .

गिरिजा व्यास दो बार अध्यक्ष रहीं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है।

15. A .

राष्ट्रीय महिला आयोग का नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। केन्द्र सरकार द्वारा इसका गठन निर्धारित कार्यों को संपादित करने के लिए किया गया है।

16. B

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम , 1990 में 5 अध्याय एवं 17 धाराएँ है।

17. B

राज्य महिला आयोग की दो बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आयोग की दो बैठकें प्रतिवर्ष अवश्य होंगी।

18.D .

केन्द्रीय महिला व बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने चंद्रमुखी देवी, सोसो शैजा और कमलेश गौतम को नॉमित किया है।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

19.A .

राष्ट्रीय महिला आयोग 'राष्ट्र महिला' नाम से मासिक पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में करता है।

20.C .

21.B .

महालेखा परीक्षक को भारत सरकार अधिनियम , 1909 के तहत सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था।

22.A .

संविधान के भाग-5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान किये गये है। अनु. 148-151 में इससे संबंधित प्रावधान उल्लेखित है।

23.A.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति संबंधी प्रावधान अनु.148(1) में, व शपथ संबंधी प्रावधान अनु.148(2) व वेतन व सेवा शर्तें संबंधी प्रावधान अनु.143(3) में उल्लेखित है, अनु.148(1) में सेवानिवृत्ति के बाद अन्यत्र पद धारण करने पर प्रतिबंध, अनु. 148(6) में CAG तथा उसके कर्मचारियों के वेतन, भत्ते , पेंशन, तथा प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर पारित होंगे।

24.B.

25.A .

प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पी.नरहरि राव थे। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चन्द्र मुर्मू है।

26.D.

अनु . 148(4) के अनुसार CAG सेवानिवृत्ति के बाद अन्यत्र पद धारण नहीं कर सकता परन्तु अपवाद के रूप में ए.के.चंद्रा वित्त आयोग के अध्यक्ष व विनोद राय बैंक ऑफ ब्यूरो के अध्यक्ष बने थे।

27.A .

अनु.151(1) के तहत CAG अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनु.151(2) के तहत CAG अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है।

28.C.

CAG को लोकलेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है।

लोकलेखा समिति भारत सरकार अधिनियम , 1919 के तहत एक स्थायी संसदीय समिति है।

CAG की ऑडिट रिपोर्ट केन्द्र और राज्य में लोकलेखा समिति को सौंपी जाती है।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

29.B.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के तहत 5 मार्च 2007 को हुई थी।

30.B.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थे।

31.B.

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 20 नवंबर 1989 को अंगीकार किया गया व 2 दिसम्बर 1990 को लागू किया गया। भारत ने 11 दिसम्बर 1992 को इस पर हस्ताक्षर किये।

32.C.

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। इसके फलस्वरूप 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई।

33.B.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सात सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष व 6 सदस्य शामिल है। संरचना में दो महिला सदस्य अनिवार्य हैं।

34.C.

राष्ट्रीय बाल अधिकार के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति से संबंधित चयन समिति का अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री होता है। यह चयन समिति तीन सदस्यीय होती है।

35.A .

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष (जो भी पहले हो) होता है जबकि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष (जो भी पहले हो) होता है। अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे लेकिन दो कार्यकालों से अधिक के लिए नहीं।

36.C.

अध्यक्ष एवं सदस्य का पद रिक्त होने पर 90 दिन के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी। एवं यह नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए होगी।

37.D.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थे। आयोग के अब तक के अध्यक्ष -

शांता सिन्हा - 2007-10

शांता सिन्हा - 2010-13

कुशल सिंह - 2013-15

स्तुति नारायण काकर - 2015-18

प्रियांक कानूनगो - 2018



समीक्षा इंस्टीट्यूट

38. A .

39. B.

NGT का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष लोकाेश्वर सिंह पंटा थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष आर्दश कुमार गोयल है। NGT को हाईकोर्ट का दर्जा प्राप्त है।

40. B.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय चार है-भोपाल , कोलकाता , चेन्नई व पुणे।

41. C.

NGT की स्थापना करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। प्रथम देश आस्ट्रेलिया ,दूसरा देश न्यूजीलैंड,प्रथम विकासशील देश भारत है।

42. C.

NGT के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।

43. B.

NGT के प्रथम अध्यक्ष लोकाेश्वर सिंह पंटा थे जबकि दूसरे अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार थे। वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है।

44. D.

NGT के अधिकार क्षेत्र से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम , 1972 एवं अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम , 2016 बाहर है।

45. D.

NGT द्वारा अधिकतम 3 वर्षों के लिए कारावास तथा 10 करोड़ रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है।

46. B.

NGT के किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त किया जा सकता।

47. A .

एक सांविधिक निकाय के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग की स्थापना की गई। 1987 में अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग कर दिया गया जो सांविधिक निकाय बना।

48. A.

65 वां संशोधन , 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई।

49. D.



समीक्षा इंस्टीट्यूट

अहमदाबाद ,कोलकाता , लखनऊ , बैंगलुरु, पटना, चंडीगढ़ , पुणे , चेन्नई , अगरतला , गुवाहाटी ,हैदराबाद व तिरुअनंतपुरम आदि। अतः म.प्र. में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है।

50.B.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना का उल्लेख अनु.338(2) में किया गया है। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष ,एक उपाध्यक्ष व चार अन्य सदस्य शामिल है। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष , एक उपाध्यक्ष व चार अन्य सदस्य शामिल है। अनु. 338(3) में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

अनु. 338(4) में आयोग को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है।

51.B.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम महिला सदस्य सुरेखा लम्बातुरे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला है। जबकि उपाध्यक्ष एल.मुरुगन हैं।

52.A.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम उपाध्यक्ष फकीर भाई बाघेला थे। वहीं वर्तमान उपाध्यक्ष एल. मुरुगन हैं।

53.B.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह थी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान है।

54.B.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दो बार अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव रहे है।

55.A .

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना अनु.340 के अनुपालन में 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग-1955 या काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

56.A .

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। यह एक सांविधिक संस्था थी।

57.C.

अगस्त 2018 में 102 वें संविधान संशोधन अधिनियम (123 वां संविधान संशोधन विधेयक) के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338-B शामिल कर दिया गया।

58.D.



समीक्षा इंस्टीट्यूट

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग	-	आर.एन.प्रसाद
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग	-	श्याम सुंदर
तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग	-	बी.एल. यादव
चौथा पिछड़ा वर्ग आयोग	-	राम सूरत सिंह
पांचवा पिछड़ा वर्ग आयोग	-	एस.रतनवेल पांडियन
छठवां पिछड़ा वर्ग आयोग	-	एम.एन. राव
सतवां पिछड़ा वर्ग आयोग	-	वांग्ला ईश्वरैया

59.A .

अनु.342 (A) के तहत राष्ट्रपति को उपरोक्त शक्ति प्रदान की गई है। इसके लिये राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार-विमर्श कर सकता है परन्तु पिछड़ा वर्ग सूची में संशोधन के लिये संसद में पारित किया जाना आवश्यक है।

60.B.

वर्तमान संरचना-

अध्यक्ष	-	भगवान लाल साहनी
उपाध्यक्ष	-	लोकेश कुमार प्रजापति
सदस्य	-	सुधा यादव, कुशलेन्द्र सिंह पटेल , थालुजू आचार्य

61.B.

1950 से 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था किन्तु 61 वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई साथ ही दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सिफारिश की गई.

62.D.

संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगायी गई है।

63.B.

निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान में नहीं बनाया गया है। इसको निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

64.C.

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885)
2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (1925)
3. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (1964)
4. भारतीय जनता पार्टी (1980)
5. बहुजनसमाज पार्टी (1984)
6. तृतीय, कांग्रेस (1998)
7. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (1999)



समीक्षा इंस्टीट्यूट

8. नेशनल पीपुल्स पार्टी (2013)

65.B.

सुनील अरोड़ा , 12 वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है।

66.A .

प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाय. कुरैशी है जबकि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रमादेवी है।

67.B.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है।

68.D.

मं.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी।

69.D.

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम अध्यक्ष एन.वी.लोहानी थे।

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बसंत प्रताप सिंह है।

70.A.

UPSC कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।

71.B.

UPSC एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्यों से मिलकर गठित होता है। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं हैं। सदस्य संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को हैं।

72.C.

UPSC सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए SC/ST के दावों को ध्यान में रखने हेतु सरकार को परामर्श नहीं देता हैं।

73.D.

अनु.323 के तहत UPSC प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति स्पष्टीकरण के साथ संसद के समक्ष रखवाता है।

74.B.

UPSC के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद में निहित है।

75.A .

UPSC के प्रथम अध्यक्ष सर रोस बार्कर थे। जबकि वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

76. B.

UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज बिलियन बैथ्यू थी। एवं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष डॉ.ए.आर. किदवई थी। आजादी के समय UPSC के अध्यक्ष एच.के.कृपलानी थे।

77. C.

MPPSC द्वारा प्रथम बार परीक्षा का आयोजन वर्ष 1958 में किया गया।

MPPSC के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश लाल मेहरा है।

78. D.

सुरेन्द्र नाथ MPPSC के अध्यक्ष नहीं रहे हैं।

79. A .

नीति आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है।

80. C.

वर्तमान में नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नितिन गड़करी कार्यरत है न कि पदेन सदस्य के रूप में।

81. A .

नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक / सांविधिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है।

82. B.

राज्य खाद्य संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य व सदस्य सचिव सम्मिलित होते हैं। जिसमें दो महिला सदस्यों का होना आवश्यक है।

83. B.

राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। राज्य सरकार आदेश के द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके पद से हटा सकती है।

84. D.

म.प्र. राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलायी जायेगी।

85. C.

म.प्र. राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की वर्तमान संरचना -

- | | |
|------------|--|
| अध्यक्ष | - राजकिशोर खाई |
| सदस्य | - दुर्गा डावर (मंदसौर) , किशोर खंडेलवाल (उज्जैन) |
| सदस्य सचिव | - राजीव चन्द्र दुबे |



समीक्षा इंस्टीट्यूट

86.C.

सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 में अध्याय 13 ,धारा-12 में केन्द्रीय सूचना आयोग एवं अध्याय-4 ,धारा-15 में से राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है।

87.A .

केन्द्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के तहत इसका गठन 2005 में किया गया।

88.A .

केन्द्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह है। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्द्धन कुमार सिन्हा है।

89.D.

म.प्र. के अब तक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त-

1. टी.एन.श्रीवास्तव
2. पदमपाणि तिवारी
3. इकबाल अहमद
4. के.डी.खान
5. अरविन्द कुमार शुक्ला

90.C.

राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के वेतन - भत्ते व अन्य शर्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है परन्तु नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

91.D.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

92.B.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।

93.D.

प्रथम केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एन.एस.राऊ थे जबकि वर्तमान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं।

94.B.

आयोग को अध्यादेश के द्वारा 25 अगस्त 1998 में सांविधिक दर्जा दिया गया है परन्तु वर्ष 2003 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम लाकर आयोग को सांविधिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

95. A .

इसके अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।

96. C.

संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया।

97. B.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का अधिनियमन होने के बाद केन्द्रीय सतर्कता आयोग बहुसदस्यीय आयोग बन गया। जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं।

98. D.

नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य - वी.के.सारस्वत , रमेशचन्द्र (कृषि विशेषज्ञ) , विनोद कुमार(पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट).

99. A.

राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष , जो भी पहले होता है।

100. B.

- | | |
|----------|-----------------------------|
| अनु. 320 | - लोकसेवा आयोग के कार्य |
| अनु. 322 | - लोकसेवा आयोग का खर्च |
| अनु. 323 | - लोकसेवा आयोग का प्रतिवेदन |